बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0(संविदा)एस0एस0के0– 11/2023 8659 **पटना, दिनांकः–** 28/10/2023

आदेश

आयुक्त के सचिव, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर पत्रांक–1003/रा0 दिनांक 28.08.2023 द्वारा मो0 शमशाद आलम, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00756), बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका सम्प्रति अरवल के विरूद्ध सुश्री रश्मि कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन से 1500/– (पन्द्रह सौ) रुपये अवैध राशि की माँग किये जाने एवं शिविर से लेकर जिला मुख्यालय तक मौजा का नक्शा जमा करने, वापस करने, अनुभव प्रमाण पत्र, वेतन पर्ची आदि प्रत्येक कार्य हेतु रिश्वत के लेन–देन के शिकायत के आरोप में इन्हें सेवा मुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

आयुक्त के सचिव, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप के आलोक में निदेशालय पत्रांक 8036 दिनांक 21.09.2023 द्वारा मो0 आलम से 03 (तीन) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा निर्धारित अवधि में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह अंकित किया गया है कि होली मिलन समारोह के लिए राशि देने की बात कही गयी है तथा अपने ऊपर लगे आरोप को तथ्यहीन, निराधार, बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत आरोप लगाये जाने की बात अंकित की गयी है।

आयुक्त के सचिव द्वारा प्रतिवेदित आरोप तदनुसार प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखो की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण तथ्यहीन है क्योंकि आरोपित द्वारा होली मिलन समारोह के नाम पर इतनी बड़ी राशि की माँग किया जाना उचित नहीं है। इनके इस प्रकार के कृत्य से स्पष्ट है कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार जैसे मामले में अपने अधीनस्थ विशेष सर्वेक्षण अमीन से अवैध राशि की माँग किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आरोपित पर आयुक्त के सचिव द्वारा जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए है, वह इनके स्पष्टीकरण से प्रमाणित होता है। इनके द्वारा स्वयं भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने तथा अपने अधीनस्थ कर्मी से अवैध राशि की माँग किया जाना सर्वथा अनुचित, अनैतिक एवं सरकारी दायित्वों के निर्वहन में अनुशासनहीनता का द्योतक है। इनके कृत्य से अन्य कर्मियों पर कुप्रभाव नहीं पड़ने तथा सर्वेक्षण कार्यो के दायित्वों के निर्वहन में अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन बनाये रखना उचित नहीं है।

अतः आयुक्त के सचिव, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)''** के आलोक में मो0 शमशाद आलम, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00756) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

28/10/23

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–01/भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0(संविदा)एस0एस0के0– 11/2023 8659 **पटना, दिनांक :** 28/10/2023

प्रतिलिपिः–मो0 शमशाद आलम, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00756), बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका सम्प्रति अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
28/10/23

ज्ञापांक :–01 / भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0(संविदा)एस0एस0के0– 11 / 2023...8659... **पटना, दिनांक** : 28/10/2023

प्रतिलिपिः–बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका / अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–01 / भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0(संविदा)एस0एस0के0– 11 / 2023...8659... **पटना, दिनांक** : 28/10/2023

प्रतिलिपिः–आयुक्त के सचिव, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :–01 / भू0अ0नि0 (5) क्षे0आ0(संविदा)एस0एस0के0– 11 / 2023...8659... **पटना, दिनांक** : 28/10/2023

प्रतिलिपिः–श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R साफ्टवेयर के अन्तर्गत संधारित उक्त कर्मी का व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करें।

निदेशक 28/10/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप